न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 1803/2021

UPRN180028572021

सरकार　　　　　　　　　　बनाम　　　　　　　　　　सौरभ

धारा 60 आबकारी अधिनियम
मु०अ०सं० 123/2021
थाना साढ़, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप **सौरभ** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनांक 06/06/2021 को समय 12.15 बजे वहद स्थान ग्राम देवसढ़ थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत थाना हाजा की पुलिस द्वारा जामा तलाशी के दौरान आपके पास से एक प्लास्टिक थैले में 20 अदद पउवा देशी शराब बरामद की, जिसको रखने का आपके पास वैध लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने धारा **60 आबकारी अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 10/02/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 10/02/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.02.10 16:11:10 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D.J.M. Ghatampur Kanpur Dehat